

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक 224/गोपनीय/2020
II-2-7/57 (Pt.II)

जबलपुर दिनांक 14 फरवरी, 2020

प्रति,

श्री अब्दुल कदीर मंसूरी,
ए0एस0जे0, विशेष न्यायालय क्रमांक-3,
विद्युत अधिनियम, ग्वालियर (म0प्र0)

विषय : नाम में त्रुटि सुधार संबंधी ।

उपर्युक्त विषयक एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 191/दो-20-1030/2014 दिनांक 29.01.2020 के संदर्भ में, आपके संबंधित सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आपके नाम में निम्नानुसार त्रुटि सुधार किया जाता है :-

	त्रुटिपूर्ण नाम	सही नाम
अंग्रेजी में	"Abdul Kadir Mansuri"	"Abdul Kadeer Mansoori"


रजिस्ट्रार जनरल
14/2/2020

पृष्ठांकन क्रमांक 225/गोपनीय/2020
II-2-7/57 (Pt.II)

जबलपुर दिनांक 14 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 2 प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004 को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 3 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ बजट/ (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/चेकर/एस0जे0ए0 (गोपनीय)/डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट (गोपनीय)/जे0ए0, अवकाश (राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल